

2026/47

निर्णय
08-01-2026

फर्द अहकाम
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
पवनकुमार बनाम रामलाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 09 वर्ष 2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
07.01.2026	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।</p> <p>07.1.2026 वकील प्रतिकर्षी ने प्रार्थना - फर्द सिवाल प्रेषी भेजा करने पर प्रजावली को प्रेषी में लिखा गया। कुलार फरिक्तेन उपस्थित वादी व प्रतिकर्षी दोनों पक्षों के दायित्व का ब्यौता आकर राशीनामा पेश किया जिसे वाद तर्कीक शामिल करके किया गया प्रजावली करते स्टेट एक्जक्यूटिव आर्डीनर 07.01.2026 के पेश हो।</p>	<p>पवन कुमार</p> <p>2026/47</p> <p>अमित</p> <p>इलका</p> <p>Shame Singh</p>
08.1.2026	<p>कुलार फरिक्तेन उपस्थित स्टेट एक्जक्यूटिव आर्डीनर 07.01.2026 के पेश हो। प्रजावली का अवलोकन किया गया प्रजावली पर उपरल्य रिकॉर्ड करि व वादी प्रतिकर्षी के दावीनामा के आझर पर वाद वादी जिम्मे किया जाया है। पूर्व प्रिक्तेन अहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल करके किया जाये। प्रजावली नम्बर के अन्तर्गत आकर वाद तर्कीक तर्कीक जाकर दाखिल दफतर हो</p>	<p>इलका</p> <p>Shame Singh</p>



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर